

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 65/2021 (Bank Case)

GCMS No. - 2021/116

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. नितिन कुमार जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन,
पता- बी-15, सुमन विहार थर्ड, कुन्हाडी, गिरधारीपुरा, कोटा (राज.)324008
कार्यालय पता-जी 14, गॉंधी चौक, पुरानी धान मण्डी, रामपुरा, एचडीएफसी
बैंक के पास, कोटा (राज.)
सम्पत्ति पता- प्लाट नं. 4 बी, स्वीट होम कॉलोनी, बालिता रोड, कुन्हाडी,
कोटा (ऋणी)
2. श्रीमती प्रीति जैन पत्नि श्री नितिन कुमार जैन
पता- बी-15, सुमन विहार थर्ड, कुन्हाडी, गिरधारीपुरा, कोटा (राज.)324008
(सहऋणी)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: ०४. 09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 25.11.2017 को 28,79,034/- रुपये (अक्षरे अट्ठाईस लाख उन्यासी हजार चौतीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 4-बी,स्वीट होम कॉलोनी,बालिता रोड, चनल रोड के पास, कुन्हाडी, तहसील- लाडपुरा, कोटा , राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज हैं, जो रजिस्टर्ड विक्रय -पत्र दिनांक 2.01.2018 द्वारा श्रीमती प्रीति जैन पत्नि श्री नितिन कुमार जैन के नाम है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.12.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 27,04,834/- (अक्षरे रूपये सत्ताईस लाख चार हजार आठ सौ चोतीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.01.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में "दी एक्सप्रेस नेटवर्क" में दिनांक 18.02.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 21.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में "दी एक्सप्रेस नेटवर्क" में दिनांक 18.02.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 21.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में "दी एक्सप्रेस नेटवर्क" में दिनांक 18.02.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 4-बी, स्वीट होम कॉलोनी, बालिता रोड़, चनल रोड़ के पास, कुन्हाडी, तहसील- लाडपुरा, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज हैं, जो विक्रय-पत्र दिनांक 2.01.2018 द्वारा श्रीमती प्रीति जैन पत्नि श्री नितिन कुमार जैन के नाम है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हरब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक ०८ 09.2021 को सुनाया गया।

३/०९/२१
(उज्ज्वल राठी)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (सदर)